न्यायालय जिला कलक्टर, अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
12 / 44 / 2020	27–08–2020	18–11–2020

01–रवि प्रकाश पुत्र पूरण मल जाति ब्राहमण निवासी शाहजहांपुर तहसील नीमराना जिला अलवर।

अपीलान्ट

बनाम

01–राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार लैण्ड होल्डर नीमराना तहसील व जिला अलवर

रेस्पोडेन्ट

अपील विरूद्ध निर्णय नायब तहसीलदार नीमराना दिनांक 11–08–2020 अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम प्रकरण संख्या 17 / 20

उपस्थितः–

01. श्री रामेश्वर दयाल –वकील अपीलान्ट
02. श्री दीपक मीना –राजकीय अधिवक्ता

––:: निर्णय ::––

अपीलान्ट ने यह अपील नायब तहसीलदार नीमराना के आदेश दिनांक 11–08–2020 जिसके तहत अपीलान्ट को ग्राम शाहजहांपुर तहसील नीमराना के आराजी खसरा नम्बर 1818 रकबा 0.33 हैक्टर किस्म बजंड में से 0.01 हैक्टर रकबा पर से बेदखल करने एवं 25 / – रूपये की पैलेन्टी से दण्डित करने के आदेश दिये गये है, से व्यथित होकर पेश की है।

अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर कर रेस्पौ0 को जर्ये सम्मन तलब किया गया एवं तहत अदालत का रिकार्ड तलब किया गया। बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलान्ट्स ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर वाके ग्राम शाहजहांपुर का साबिक खसरा नम्बर 1310 था तथा खसरा नम्बर 1310 में से ग्राम पंचायत शाहजहांपुर ने आवासीय भूमि के पट्टे जारी किये जिसमें एक पट्टा दिनांक 26.05.1986 को लक्ष्मीनारायण पुत्र रामजीलाल निवसी शाहजहांपुर को 15X10 गज का जारी किया गया था। उक्त प्लॉट के बाबत पूर्व में पटवारी हल्का ने लक्ष्मीनारायण के विरूद्व धारा–91 का नोटिस दिया जिस पर तत्कालीन तहसीलदार ने लक्ष्मीनारायण को बेदखल करने का आदेश पारित किया जिसकी अपील दायर की गई वह अपील खारिज होने पर अपील अधिकारी के न्यायालय में अपील की गई जो अपील स्वीकार होकर तहसीलदार बहरोड को पुनः निर्णय हेतु प्रतिप्रेषित की गई। तहत अदालत ने सुनवाई करने के बाद नोटिस निरस्त कर दिया तथा निर्णय में माना कि उक्त भूमि उसकी पट्टे की जमीन है जो ग्राम पंचायत द्वारा उसे जारी किया गया है। उक्त निर्णय तहसीलदार द्वारा दिनांक 21.5.1985 को किया गया इस निर्णय के बाद नायब तहसीलदार पुनः लक्ष्मीनारायण को बेदखल करने

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

की धमकी दी जिस पर लक्ष्मीनारायण ने सिविल न्यायाधीश क0ख0 बहरोड के न्यायालय में वाद दायर किया जिस पर न्यायालय द्वारा दिनांक 29.7.1996 को डिक्री कर दिया जिस वाद में प्लॉट लक्ष्मीनारायण के स्वामित्व का माना गया। उस आवासीय प्लॉट जिसमें निर्माण भी किया हुआ था जिसको जरिये रजिस्टर्ड बयनामा दिनांक 4.11.15 अपीलान्ट व भागीरथ पुत्र बनवारी तथा गिर्राज पुत्र जगमाल सिंह को 25,69,800/—रूपये में विक्रय कर दिया। बैयनामें में ग्राम पंचायत के प्रस्ताव संख्या 1 दिनांक 26.5.1981 व कार्यवाही रजिस्टर का उल्लेख किया गया है। विवादित भूमि अपीलान्ट के द्वारा खरीद की गई भूमि का हिस्सा है तथा जो सरकारी भूमि नहीं है। तहत अदालत के समक्ष बयनामा व पटटे की कॉपी पेश की थी अन्य दस्तावेजात पेश करने के लिए समय चाहा था जिस पर तहत अदालत ने कहा शेष दस्तावेज बाद पेश कर देना। अपीलान्ट पुनः तहत अदालत में गया तो पता लगा कि प्रकरण दिनांक 11.8.20 को निर्णित कर दिया। अपीलान्ट को तहत अदालत ने साक्षय, सबूत का मौका नहीं दिया गया, और अपीलान्ट की गैर मौजूदगी एकपक्षीय कार्यवाही कर पारित किया गया है। अपीलान्ट की ओर से तहत अदालत के समक्ष दस्तावेज साक्षय के रूप में पटटा विलेख व बयनामा की प्रति प्रस्तुत की तथा अन्य दस्तावेजात पेश करने हेतु समय चाहा किन्तु तहत अदालत द्वारा आगामी तारीख नहीं बताई गयी। जिसकी जॉच तहत अदालत ने नहीं की और बिना वास्तविकता की जॉच किए ही अपीलाधीन निर्णय पारित किया है जो निर्णय खिलाफ तथ्य कानून मौका साक्षय प्रतिपादित न्यायिक सिद्धान्तों एवं नैसर्गिक न्याय सिद्वान्त व राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम 1956 के प्रावधानों के विपरीत है। अपील अन्दर मियाद पेश है। अतः अपील स्वीकार फरमाई जावें।

राजकीय अधिवक्ता ने अपील में वर्णित तथ्यों को अस्वीकार करते हुए निवेदन किया कि आराजी बजंड की है। गै0मु0 जोहड/बंजड पर टीनशैड लगा कर अतिक्रमण किया हुआ है। आराजी आबादी में स्थित नहीं है। अपीलान्ट ने मौके पर अवैद्य रूप से बंजड की भूमि पर निर्माण कर रखा है जिसका उन्हें कोई अधिकार नहीं है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज फरमाई जाकर अपीलाधीन आदेश यथावत रखा जावे।

जिला कलेक्टर
अलवर (राज०)

हमनें पत्रावली का अवलोकन किया एवं बहस पर मनन किया। अपीलान्ट ने अपील पेश कर मुख्य तर्क उठाया है कि विवादित आराजी आबादी की है और आबादी भूमि में से ही तहसीलदार द्वारा आबादी भूमि का विक्रय विलेख जारी किया है। तहत अदालत ने बिना अपीलान्ट्स को सुनवाई का अवसर दिए तथा अपीलान्ट को अपना पक्ष प्रस्तुत करने का मौका दिए बिना एवं मौका निरीक्षण किये, बिना पैमाईश किये अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। तहत अदालत की पत्रावली का अवलोकन किया, तहत अदालत ने वर्तमान राजस्व रिकार्ड में सिवायचक बजंट दर्ज है उसके आधार पर अपना अपीलीय निर्णय पारित किया गया है। जब विवादित आराजी वर्तमान में सिवायचक बजंड के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है तो आराजी पर किसी को अतिक्रमण करने का कोई अधिकार

नही है। विवादित आराजी सिवायचक बजंट की है और अपीलान्ट को सिवायचक बजंड की आराजी पर अतिक्रमण करने का कोई अधिकार नही है। अतः अपील अपीलान्ट खारिज किए जाने योग्य है।

उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट्स खारिज की जाकर नायब तहसीलदार नीमराना जिला अलवर का आदेश दिनांक 11–08–2020 यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति तहत अदालत को तहत रिकार्ड सहित भिजवाई जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो, बाद पूर्ति दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 18–11–2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(आनन्दी)
जिला कलक्टर
जिला कलक्टर, अलवर